भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
कृषि अनुसंधान भवन-II, पूसा, नई दिल्ली-110012
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012
Website: www.icar.gov.in

F. No.1/1/2024-EQAR/Edn.Accre. **Dated: 10th July, 2024**

Notification

As per the decision of the National Agricultural Education Accreditation Board taken in its 36th meeting held on 20th June 2024, B.Sc. (Hons.) Agriculture Programme in the School of Agricultural Sciences, Raffles University, Rajasthan was approved for accreditation for a period of five years i. e. from 20/06/2024 to 19/06/2029. The college shall maintain the intake of 60 students in the programme.

Further, the University/College needs to abide by the following requirements during the entire period of accreditation.

1. Self-Study Reports of all accredited programmes should be uploaded on University website with intimation of necessary link immediately.
2. University/College should annually upload intake data of students in all accredited degree programme(s), college-wise faculty positions on its website for information of stakeholders.
3. Student intake capacity of the accredited UG/PG/PhD degree programme(s) must be maintained during the accreditation period. Any increase in the student intake capacity during accreditation period without permission of the NAEAB will be liable to cancel the accreditation.
4. Strength of faculty/technical /supporting staff as listed in latest year of Self-Study Reports must be maintained by the university/college/programme.
5. A mid-term review will be conducted on actionable points (Annexure-II). The university is required to address the observations on actionable points in a time bound manner and submit Action Taken Report accordingly.

Yours faithfully,

10/7/2024

(Rajesh Kumar Jha)
Dy. Secy. (Agril Edn. & NAHEP)

Encl: As Above

Copy to:

1. The Registrar, School of Agricultural Sciences, Raffles University, Rajasthan, Email: registrar@rafflesuniversity.edu.in
2. PSO to Secretary, DARE & DG, ICAR, Krishi Bhawan, New Delhi-01 for kind information.
3. PPS to DDG, Agril Edn, KAB-II, Pusa Campus, New Delhi-12, for kind information.
4. Concerned file/Guard file

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक–प 8(27)कृषि–3/2018 जयपुर, दिनांक 02.08.2024

समन्वयक,
संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2024
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।

विषयः–रैफल्स विश्वविद्यालय, नीमराणा, अलवर को संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2024 में सम्मिलित करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत रैफल्स विश्वविद्यालय, नीमराणा, अलवर को कृषि संकाय (बी.एस.सी. एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम) में संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2024 के माध्यम से 120 (अक्षरे एक सौ बीस) छात्र काउंसलिंग के आधार पर सत्र 2024–25 के लिए आवंटित किये जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अनुसार एतद द्वारा प्रदान की जाती है:–

1. विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद [illegible] से एक्रिडिटेशन एवं मापदण्डों की एक वर्ष में पूर्ति करना आवश्यक है अन्यथा [illegible] आवेदन मान्य नहीं होगें।
2. इस विभाग के दिशा निर्देशों के क्रम में किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है तो राज्य सरकार द्वारा जांच कर विश्वविद्यालय में नवीन प्रवेश पर रोक लगा सकेगी तथा दी गयी अनुमति भी प्रत्याहरित की जा सकेगी।
3. विश्वविद्यालय के कैम्पस में संचालित बी.एस.सी एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम में सत्र 2024–25 में छात्रों का प्रवेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अलावा विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य प्रकार के माध्यम से नहीं लिये जायेंगे।
4. विश्वविद्यालय अपने अधिनियम की पालना हेतु कटिबद्व रहेगा।

भवदीय,

(अशोक कुमार मीना)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:–
1. विशिष्ट सहायक, मा. कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग।
4. कुलसचिव, रैफल्स विश्वविद्यालय, नीमराणा, अलवर
5. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

Commissioner Agriculture
Received Letter
E-Dak No. 1582856
Date 16/08/23

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक प.8(7)कृषि/3/2019 जयपुर दिनांक 10.08.2023

–: आदेश :–

इस विभाग के समसंख्यक विभिन्न आदेशों द्वारा निजी विश्वविद्यालयों को कृषि पाठ्यक्रम संचालन हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2023–24 में छात्र आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में परिपत्र दिनांक 10.04.2019 एवं 10.05.2022 के क्रम में भौतिक सत्यापन/निरीक्षण करने हेतु जांच कमेटियों का गठन किया गया था। इन निजी विश्वविद्यालयों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण किये जाने में प्रशासनिक कारणों से विलम्ब सम्भावित है। शैक्षणिक सत्र–2023–24 को प्रारम्भ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निजी विश्वविद्यालयों को पूर्व शैक्षणिक सत्र 2022–23 में आवंटित सीटों के अनुरूप ही शैक्षणिक सत्र 2023–24 के लिए जैट के माध्यम से सीट/छात्र आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त निर्णय के कम में निजी विश्वविद्यालयों के लिए भौतिक सत्यापन/निरीक्षण किये जाने के कार्य को स्थगित किया जाता है।

Sd/-
(कुन्तल विश्नोई)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– विशिष्ठ सहायक, मा. कृषि मंत्री महोदय राज0 जयपुर।
2– निजी सचिव, शासन सचिव, कृषि विभाग, जयपुर।
3– आयुक्त कृषि विभाग, जयपुर।
4– संबधित जिला कलेक्टर।
5. समस्त कुलसचिव, कृषि विश्वविद्यालय।
6. जेट समन्वयक, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
7.– समस्त अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालयों की जॉच कमेटी।
8– कुलसचिव, संबधित निजी विश्वविद्यालय।
9. रक्षित पत्रावली।

Sd/- 10/8/23
उप शासन सचिव

CamScanner

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक प. 8(7)कृषि/ग्रुप–3/2019 जयपुर दिनांक 28.07.2022

कुलसचिव,
माधव विश्वविद्यालय, सिरोही
विवेकानन्द ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर
आर.एन.बी ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर
संगम विश्वविद्यालय, भीलवाडा
रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना
केरियर पोइन्ट विश्वविद्यालय, कोटा
भूपोल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर
महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय, जयपुर
महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर
डा. के.एन.मोदी विश्वविद्यालय, निवाई
मेवाड विश्वविद्यालय,चितोड
जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर
यूनिवर्सिटी आफ टेक्नोलोजी, वाटिका, जयपुर
भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर
सनराइज विश्वविद्यालय, अलवर
श्रीधर विश्वविद्यालय, पिलानी, झुन्झुनु
अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर
जगनाथ विश्वविद्यालय चाकसू
खुशालदास यूनिवर्सिटी, हनुमानगढ
श्याम यूनिवर्सिटी, लालसोट, दौसा
सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, जयपुर
लार्डस विश्वविद्यालय, अलवर
निर्वाण विश्वविद्यालय, बस्सी

विषयः–संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2022 के माध्यम से छात्र आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 10.05.2022 के बिन्दु स. 4 के अनुसार जिन निजी विश्वविद्यालयों में कृषि पाठयक्रम का एक बैच निकल चुका है, उन निजी विश्वविद्यालयों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली से एक्रीडिटेशन लेना अनिवार्य होगा अन्यथा ऐसे निजी विश्वविद्यालयों को आगामी शैक्षणिक सत्र से जेट के माध्यम से छात्रों का आवंटन नही किया जावेगा, का मापदण्ड निर्धारित किया गया था। उक्त संबंध में अध्यक्ष, फेडरेशन आफ राजस्थान प्राइवेट विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में आईसीएआर, नई दिल्ली से एक्रीडिटेशन प्राप्त करने हेतु दो वर्ष की छूट प्रदान करने का निवेदन किया है। अध्यक्ष, फेडरेशन आफ राजस्थान प्राइवेट विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा यह भी निवेदन किया है कि कोरोना महामारी के कारण आईसीएआर के मापदण्ड पूरा नही कर पाये है। इस संबंध में निजी विश्वविद्यालय एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेगें।

विभाग के स्तर पर ज्ञापन के परीक्षण उपरान्त आईसीएआर, नई दिल्ली से एक्रीडिटेशन एवं मापदण्डों में कमी–पूर्ति के लिये सक्षम स्तर से एक वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त परिपत्र के क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली से एक वर्ष की अवधि में एक्रीडिटेशन प्राप्त करने के साथ ही कृषि पाठयक्रम के संचालन हेतु जारी आईसीएआर के मापदण्ड, उच्च शिक्षा विभाग के दिशा–निर्देश दिनांक 18.01.2018 एवं इस विभाग का परिपत्र दिनांक 10.04.2019 / 10.05.2022 के दिशा निर्देशों की पूर्ति हेतु संलग्न शपथ पत्र राशि 100.00 रूपये के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अविलम्ब प्रस्तुत करने पर आगामी कार्यवाही की जावेगी।

अतः आपके द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2022 के माध्यम से छात्र आवंटन करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के संदर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के माध्यम से छात्र आवंटन हेतु इच्छुक है, तो संलग्न शपथ पत्र अविलम्ब इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें, ताकि आगामी कार्यवाही की जा सकें।

संलग्नः– शपथपत्र का प्रारूप।

भवदीय

(प्रहलाद कुमार मीना)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि श्री निर्मल पॅवार, अध्यक्ष, फेडरेशन आफ राजस्थान प्राइवेट विश्वविद्यालय, बी–11ए, चौमू हाउस सर्किल, जगन पथ सी स्कीम, जयपुर को उनके पत्र दिनांक 20.07.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

शासन उप सचिव

शपथ पत्र

मैं ... कुलसचिव, विश्वविद्यालय, जिला शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि ...... विश्वविद्यालय.... राज्य सरकार के अधिनियम, 20.. द्वारा स्थापित है। विश्वविद्यालय में कृषि संकाय का अध्यापन वर्ष से कराया जा रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, उच्च शिक्षा विभाग एवं कृषि विभाग द्वारा कृषि संकाय के संचालन हेतु निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली से कृषि संकाय हेतु एक्रीडिटेशन (Accreditation) एक वर्ष की अवधि में आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावेगा।

यदि विश्वविद्यालय द्वारा इस अवधि में निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति एवं एक्रीडिटेशन (Accreditation) प्राप्त नही किया जाता है तो आगामी शैक्षणिक सत्र 2023–24 के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेट) के माध्यम से कृषि संकाय हेतु सीट/छात्र आवंटन हेतु आवेदन नही किया जावेगा एवं विश्वविद्यालय में कृषि संकाय का संचालन भी नही किया जावेगा।

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप–3) विभाग

कमांक–प 8(27)कृषि–3/2018 जयपुर, दिनांकः 09.11.2020

समन्वयक,
संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2020
कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।

विषयः–राफेल्स विश्वविद्यालय, नीमराना, अलवर को संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2020 में सम्मिलित करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राफेल्स विश्वविद्यालय, नीमराना, अलवर को कृषि संकाय (बी.एस.सी एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम) में संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2020 के माध्यम से 120 (अक्षरे एक सौ बीस) छात्र काउसलिंग के आधार पर सत्र 2020–21 के लिए आवंटित किये जाने की स्वीकृति निम्नाकित शर्तो के अनुसार एतद द्वारा प्रदान की जाती हैः–

1. उक्त विश्वविद्यालय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार Accreditation (मान्यता) लेना सुनिश्चित कर विभाग को अवगत करायेगें।
2. उच्च शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 18.01.2018 एवं विभाग के पत्र दिनांक 10.04.2019 द्वारा जारी दिशा–निर्देश की पालना सुनिश्चित करेगें।
3. उच्च शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 18.01.2018 एवं इस विभाग के परिपत्र दिनांक 10.04.2019 के प्रावधान के अुनसार विश्वविद्यालयों का दो माह के अन्दर आकस्मिक निरीक्षण/भौतिक जॉच/सत्यापन कराया जावेगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय को कोई आपत्ति नही होगी।
4. आकस्मिक निरीक्षण/भौतिक जॉच/सत्यापन पर विश्वविद्यालय द्वारा कृषि संकाय हेतु निर्धारित मापदण्ड पूरे नही करने अथवा इनके उल्लधन की स्थिति पाये जाने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय में नवीन प्रवेश पर रोक लगा सकेगी तथा दी गयी अनुमति भी प्रत्याहरित की जा सकेगी।
5. संयुक्त प्रवेश परीक्षा के काउसलिंग के माध्यम से आवंटित छात्र के अलावा अन्य किसी माध्यम से कृषि संकाय पाठ्यक्रम में प्रवेश नही दिया जावेगा।
6. विश्वविद्यालय अपने अधिनियम की पालना हेतु बाध्य रहेगा।

भवदीय,

Sd –

(प्रहलाद कुमार मीना)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग।
3. कुलसचिव, राफेल्स विश्वविद्यालय, नीमराना, अलवर ।
4. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक–प 8(27)कृषि–3/2018 जयपुर, दिनांकः 11.06.2019

समन्वयक,
संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2019
कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।

विषयः–राफेल्स विश्वविद्यालय, नीमराना, अलवर को संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2019 में सम्मिलित करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 10.06.2019 के द्वारा राफेल्स विश्वविद्यालय, नीमराना, अलवर को कृषि संकाय (बी.एस.सी एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम) में संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2019 के माध्यम से 60 छात्र आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त स्वीकृति की निरन्तरता में पूर्व आवंटित 60 छात्रों के अतिरिक्त राफेल्स विश्वविद्यालय, नीमराना, अलवर को 60 और (कुल एक सौ बीस) को काउसलिंग के आधार पर सत्र 2019–20 के लिए छात्र आवंटित किए जाने की स्वीकृति निम्नाकित शर्तो के अनुसार एतद द्वारा प्रदान की जाती हैः–

1. राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट में बतायी गयी आधारभूत सुविधाओं की कमी की पूर्ति के साथ–साथ विभाग के द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 10.04.2019 के प्रावधानों के अनुसार एक माह में योग्यता मापदण्डों की पूर्ण पूर्ति की जाना आवश्यक होगा।
2. राज्य सरकार एक दल के माध्यम से बी.एस.सी. एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम के संबंध में संस्था में योग्यता परीक्षण हेतु दो माह पश्चात आकस्मिक निरीक्षण कर सकेगी। इसमें विश्वविद्यालय को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. इस विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार बी.एस.सी. एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित मापदण्ड पूरे नही करने अथवा इनका उल्लधन की स्थिति पाये जाने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय में नवीन प्रवेश पर रोक लगा सकेगी तथा दी गयी अनुमति भी प्रत्याहरित की जा सकेगी।
4. विश्वविद्यालय के कैम्पस में संचालित बी.एस.सी एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम में सत्र 2019–20 में छात्रों का प्रवेश किसी अन्य प्रकार के माध्यम से नही किये जायेगें।
5. विश्वविद्यालय अपने अधिनियम की पालना हेतु कटिबद्व रहेगा।

भवदीय,

(अजय झा)
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग।
3. कुलसचिव, राफेल्स विश्वविद्यालय, नीमराना, जिला अलवर।
4. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः प. 3 (34) शिक्षा–4/2005पार्ट जयपुर, दिनांकः 08-08-2018

कुलसचिव,
रेफल्स विश्वविद्यालय,
नीमराना (अलवर)

विषयः–विश्वविद्यालय में नवीन बी.एससी कृषि (आनर्स)) पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति बाबत।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक 719 दिनांक 09.03.17 एवं 1838 दिनांक 05.06.2018

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्रों द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व विभाग के आदेश दिनांक 06.06.2017 द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त की गई अनुशंषा एवं आईसीएआर नई दिल्ली के पत्र दिनांक 18.07.2018 तथा कृषि (ग्रुप–3) विभाग की अ.शा टीप दिनांक 07.08.2018 में व्यक्त अभिमत के आधार पर रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना अलवर को आईसीएआर की कृषि पाठ्यक्रम सम्बन्धी गाईड लाइन के बिन्दु संख्या 9बी व कृषि पाठ्यक्रम हेतु जारी विभागीय दिशा–निर्देश दिनांक 18.01.18 के बिन्दु संख्या 5 में वर्णित भूमि की दूरी सम्बन्धी प्रावधान में शिथिलता प्रदान करते हुए रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) अधिनियम, 2011 की धारा 4 के अन्तर्गत सत्र 2018–19 से बी. एससी कृषि (आनर्स) पाठ्यक्रम संचालित करने की सहमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1 कृषि पाठ्यक्रम के संचालन हेतु आईसीएआर नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों, नियमों आदि की पूर्व पालना सुनिश्चित करनी होगी।
2 विश्वविद्यालय को कृषि पाठ्यक्रम हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 18.01.2018 की सभी शर्तों (बिन्दु संख्या 5 मे प्रदत्त शिथिलता को छोडते हुए) की पालना सुनिश्चित करनी होगी एवं पालना सुनिश्चित करने के उपरान्त छात्रों को जेट परीक्षा की नोडल एजेन्सी के माध्यम से छात्र आवंटित करा कर प्रवेश देने होंगे।
3 पाठ्यक्रमों की परीक्षा पद्धति आइसीएआर के दिशा–निर्देशानुसार होनी चाहिए।
4 विश्वविद्यालय अपने द्वारा प्रस्तुत अण्डर टेकिंग की पालना में छात्रों को निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करायेगा।

भवदीय,

Sd

(डॉ. राजेन्द्र जोशी)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदया, उच्च शिक्षा।

2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा।

3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग।

4 सचिव, आईसीएआर, कृषि शिक्षा विभाग, कृषि अनुसंधान भवन II, नई दिल्ली को उनके पत्र कमांक इडीएन 5–22/2018–ईक्यूआर दिनांक 18.07.18 के कम में।

5 उप शासन सचिव, कृषि (ग्रुप–3) को अ.शा टीप दिनांक 07.08.2018 के कम में।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा